बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

सेवा में,

मालिक/स्वामी
....
....
....

विषय :– **सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 (2009 का 7) और इसके अन्तर्गत 2011 में बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस।**

प्रिय महोदय/महोदया,

पंजीकृत डाक द्वारा

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 (2009 का अधिनियम संख्याक–7) के आलोक में प्रकाशित अधिसूचना 185 दिनांक 26.07.2011 द्वारा राज्य में सांख्यिकी नियम संग्रह 2011 के नियम 3, उप नियम (1) के तहत अधिकारों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रकाशन) को नोडल पदाधिकारी घोषित किया गया है । अधिसूचना में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोडल पदाधिकारी द्वारा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2010–11 हेतु आपके कारखाने/औघोगिक प्रतिष्ठान को नोटिस प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए एतद् के माध्यम से नोटिस दिया जा रहा है । विवरणी भरने के लिए रिक्त फार्म और निर्देश वेबसाइट http://dse.bih.nic.in से download किया जाए । रिक्त फार्म और दिशा–निर्देश नोडल पदाधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

2. विधिवत रूप से भरे गए विवरणी के भाग–1 को दो प्रतियों में (इस उद्देश्य के लिए संलग्न फार्म की फोटो प्रति भी प्रयोग में लाई जा सकती है) भरा जाए । भरे गए फार्म इस कार्यालय को निम्नलिखित पते पर भेजा जाए। भरे गए विवरणी के लिफाफे पर ''वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, 2010–11 के लिए गोपनीय विवरणी'' लिखा होना चाहिए। आपसे यह भी अनुरोध है कि विवरणी में प्रस्तुत सूचनाओं की पुष्टि के लिए विवरणी के साथ बैलेंस शीट, लाभ–हानि लेखा, निदेशक की रिपोर्ट या अन्य कोई विधिक दस्तावेज की दो प्रतियाँ भी प्रस्तुत करें। आपके द्वारा विवरणी में दी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। आप अपने रिकार्ड के लिए विवरणी की एक प्रति अपने पास रख सकते हैं।

भरे गए फार्म इस कार्यालय से आप द्वारा प्रस्तुत विवरणों के स्पष्टीकरण या सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी को भी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर वांछित दस्तावेजों के साथ हस्तगत कराया जा सकता है ।

इस कार्यालय का पता–

संयुक्त निदेशक
(प्रशिक्षण एवं प्रकाशन)
–सह–
नोडल पदाधिकारी
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
बैरक नं0–17
पुराना सचिवालय
पटना– 800015
इ0 मेल0–dir-stat-bih@nic.in
दूरभाष–0612–2215359
0612–2215035(फैक्स)
9431012697 (मो.)

3. विवरणी में माँगी गई जानकारी को निर्धारित समय में दिया जाना आपके लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यदि विवरणी को समेकित करने में आपको कोई कठिनाई है तो इस कार्यालय से आप मार्ग दर्शन ले सकते है। आपके द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने से पहले या बाद में आप द्वारा प्रस्तुत विवरणों के स्पष्टीकरण या सत्यापन के लिए इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आपसे सम्पर्क कर सकता है। निर्धारित समय में विवरण प्रस्तुत करने में यदि कोई कठिनाई हो तो कानूनी परिणामों से बचने के लिए समय में वृद्धि के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए इस कार्यालय से लिखित अनुरोध किया जाना चाहिए।

4. अगर आपके सामने अपनी विवरणी प्रस्तुत करते समय कभी ऐसी स्थिति आती है जब कोई छद्म व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति आपसे अवैध रूप से नकद अथवा वस्तु रूप में परितोषण/रिश्वत की माँग करता है तो आप उसका विवरण निम्न पते पर सीधे भेज सकते हैं।

संयुक्त निदेशक
(प्रशिक्षण एवं प्रकाशन)
–सह–
नोडल पदाधिकारी
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
बैरक नं0–17
पुराना सचिवालय
पटना– 800015
इ0 मेल0–dir-stat-bih@nic.in
दूरभाष–0612–2215359
0612–2215035(फैक्स)
9431012697 (मो.)

5. कृपया इस नोटिस की पावती संलग्न मुद्रित पावती रसीद पर अवश्य दें।

विश्वासभाजन

ह0/–
संयुक्त निदेशक
(प्रशिक्षण एवं प्रकाशन)
–सह–
नोडल पदाधिकारी
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
बैरक नं0–17
पुराना सचिवालय
पटना– 800015

संदर्भः एस0आर0ओ0संकेतांक––––––––––––डी0एस0एल0सं0––––––––––––
अनुपालन हेतु प्रषित।

स्थान :–

दिनांक :–

संयुक्त निदेशक
(प्रशिक्षण एवं प्रकाशन)
–सह–
नोडल पदाधिकारी
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
बैरक नं0–17
पुराना सचिवालय
पटना– 800015